



## वशिव व्यापार संगठन और सब्सिडी मुद्दा

### परीलमिस के लयि:

वशिव व्यापार संगठन, SCM

### मेन्स के लयि:

सब्सिडी से संबधति मुद्दे

### चरचा में क्यो?

हाल ही में वशिव व्यापार संगठन (World Trade Organization- WTO) के वविद नपिटान पैनल (Dispute Settlement Panel) ने भारत में दी जाने वाली नरियात सब्सिडी पर आपत्तजिताई है ।

- पैनल के अनुसार, भारत की नरियात प्रोत्साहन योजनाओं ने वशिव व्यापार संगठन के सब्सिडी और काउंटरवेलगि मानकों (Subsidies and Countervailing Measures- SCM) से संबधति समझौते के कई प्रावधानों का उल्लंघन कयि है ।

### SCM:

- SCM समझौता दो मुद्दों से संबधति है

1. पहला बहुपक्षीय सब्सिडी के प्रावधानों का वनियमन ।
2. सब्सिडी वाले आयातों के कारण होने वाली हाना से संबधति काउंटरवेलगि उपाय ।

- बहुपक्षीय सब्सिडी के प्रावधानों के तहत ही कसी देश द्वारा नरियात सब्सिडी लगाई जाती है ।
- इसके वपिरीत यदा कोई पक्ष इस नरियात सब्सिडी से प्रभावति हो रहा है तो वह SCM समझौते में नरिधारति मापदंड के तहत काउंटरवेलगि ड्यूटी लगा सकता है ।

- पैनल ने फैसला सुनाया क भारत नरियात प्रदर्शन पर आकस्मिक सब्सिडी प्रदान करने का हकदार नहीं है क्योक भारत का प्रतवियक्तसिकल राष्ट्रीय उत्पाद 1,000 डॉलर प्रतविरष से अधिक हो गया है ।
- वशिव व्यापार संगठन के SCM समझौते के अनुच्छेद 3 | 1 के तहत प्रतविरष 1,000 डॉलर के प्रतवियक्तसिकल राष्ट्रीय उत्पाद वाले वकिसशील देशों को नरियात सब्सिडी प्रदान करने का अधिकार नहीं है ।
- SCM समझौते के अनुच्छेद 4 | 7 के अनुसार, यदा निषिद्ध वस्तुओं पर सब्सिडी का प्रश्न उठता है तो पैनल सब्सिडी देने वाले देश से त्वरति रूप से सब्सिडी वापस लेने की अनुशंसा कर सकता है ।
- पैनल के अनुसार, भारत की नरियात प्रोत्साहन सब्सिडी को SCM समझौते के अनुच्छेद 3 | 1(a) और 3 | 2 से असंगत पाया गया है ।
- पैनल ने फैसला सुनाया है क भारत को 90-120 दनों की समयवध के भीतर SCM समझौते से असंगत सभी योजनाओं को वापस लेना चाहयि ।

### इस प्रकार के फैसले का भारत पर प्रभाव:

- इस प्रकार के फैसले के बाद भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही कई नरियात-सब्सिडी योजनाएँ गंभीर रूप से प्रभावति होंगी । इन योजनाओं में शामिल हैं:

1. इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्कीम, बायो-टेक्नोलॉजी पार्क स्कीम
2. मर्चेंडाइज़ एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम
3. एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम
4. वशिष आर्थिक क्षेत्र (Special Economic Zone)

- भारत प्रतविरष 7 बलियन डॉलर (5 | 4 बलियन पाउंड) से अधिक की सब्सडिी वभिनिन उत्पादों जैसे- इस्पात, फार्मास्यूटिकल्स, रसायन, आईटी और वस्त्र आदिपर देता है।

## भारत के लयि नरियात सब्सडिी का महत्त्व:

- भारत अभी भी वकिसशील देशों की श्रेणी में है। भारत की आय में जो वृद्धा हुई है उसमें नरियात से ज़्यादा योगदान सेवा क्षेत्र का है इसलिये भारत के इस प्रकार के प्रावधान अप्रासंगिक प्रतीत होते हैं, ध्यातव्य है कभारत काफी समय से इस प्रकार के प्रावधानों के अंतर्गत वशिष छूट की मांग कर रहा है।
- वर्तमान समय में वैश्विक स्तर पर संरक्षणवाद और अन्य प्रभावी कारकों के कारण भारत की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, इसलिये ऐसे समय में भारत जैसे वकिसशील देशों को इन प्रावधानों से वशिष छूट मलिनी चाहिये।
- भारत का बैंकगि और उद्योग क्षेत्रक इस समय मंदी से घरिा हुआ है, इसलिये वशिष प्रोत्साहन के बनिा अर्थव्यवस्था में उत्पादन बढ़ाना आसान कार्य नहीं है।

## स्रोत: इकोनॉमिक्स टाइम्स

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/wto-panel-upholds-us-case>

